

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1998 के अंतर्गत कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51)कार्मिक/ क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार 31 कनिष्ठ सहायक पद एवं 10 सहायक कर्मचारी पद के कुल 41 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम वार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 क प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जायेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 सी.टी. जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेंटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार छुट्टापत्र नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।



24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/-रू. मासिक एव स्थिर पारिश्रमिक सहायक कर्मचारी 12,400/-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवृत्त जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	कमल तिवाड़ी 01-04-2005	पुत्र	12-2-2022 कनिष्ठ सहायक	राधेश्याम तिवाड़ी अध्यापक, माशि	बीकानेर	बीकानेर
2	दिनेश सोनगरा 21-03-1994	पुत्र	22-03-2022 कनिष्ठ सहायक	रतनलाल चश्रेक, माशि	बीकानेर	बीकानेर
3	अभिषेक रंगा 03-10-1987	पुत्र	05-08-2022 कनिष्ठ सहायक	श्यामाप्रसाद रंगा सप्रअ माशि	बीकानेर	बीकानेर
4	कुलदीप सारसर 05-11-1997	पुत्र	08-04-2022 कनिष्ठ सहायक	रामकरण अ. माशि	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर
5	कृष्ण कान्त 04-06-1998	पुत्र	04-03-2022 कनिष्ठ सहायक	राजेश रत्न व्या. माशि	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
6	नितिन कुलदीप 30-1-2000	दत्तक पुत्र	07-06-2021 कनिष्ठ सहायक	कानाराम कुलदीप व.अध्यापक, माशि	जयपुर	जयपुर
7	विधि चतुर्वेदी 17-05-1999	दत्तक पुत्री	26-10-2020 कनिष्ठ सहायक	अंजना चतुर्वेदी पु.अ. माशि	जयपुर	जयपुर
8	रामकरण यादव 05-06-1989	पुत्र	06-09-2020 कनिष्ठ सहायक	मैरूलाल यादव शा.शि. माशि	जयपुर	अलवर
9	सुभाष सैनी 14-09-1973	पति	22-03-2021 कनिष्ठ सहायक	बीना सैनी अ.माशि	जयपुर	जयपुर
10	दीपाली अग्रवाल 01-11-2001	पुत्री	12-04-2021 कनिष्ठ सहायक	कौशलेन्द्र कुमार गुप्ता, अ.माशि	जयपुर	जयपुर
11	सुनिता यादव 05-11-1989	पत्नी	09-12-2021 कनिष्ठ सहायक	टिकूराम कानि. क-2	अलवर (दिल्ली)	अलवर
12	प्रेमलता शर्मा 06-07-1968	पत्नी	28-06-2019 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मण प्रसाद शर्मा आयु. चिकि, क-2	भरतपुर	भरतपुर
13	उदयप्रताप मीना 25-12-2001	पुत्र	22-07-2020 कनिष्ठ सहायक	रमेशचन्द्र कानि. क-2	भरतपुर	भरतपुर
14	मनीषा वशिष्ठ 18-3-1975	पत्नी	10-11-2020 कनिष्ठ सहायक	सुनील कुमार शर्मा आ.चि., क-2	अजमेर	जयपुर
16	उत्कर्ष हर्षवाल 20-08-2003	पुत्र	23-04-2022 कनिष्ठ सहायक	योगेन्द्र सैन व.अ. माशि	अजमेर	अजमेर



क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/ श्रीमती	संबंधित जिला	आवृत्त जिला
1	2	3	4	5	6	7
16	रजीउद्दीन खान 25-07-2003	पुत्र	17-08-2021 कनिष्ठ सहायक	सईदुद्दीन खान अ. माशि	टोंक	टोंक
17	कविता शर्मा 15-04-1986	पत्नी	23-03-2022 कनिष्ठ सहायक	हंसराज शर्मा व.अ. माशि	टोंक	जयपुर
18	कविता जाखड़ 15-10-1991	पत्नी	08-8-2021 कनिष्ठ सहायक	महेश कुमार कानि, क-2	चूरु	सीकर
19	विक्रम 30-01-2003	पुत्र	01-12-2020 कनिष्ठ सहायक	ओमप्रकाश नाई चश्रेक माशि	चूरु	जोधपुर
20	राजेन्द्र गोठवाल 22-11-1980	पति	23-02-2022 कनिष्ठ सहायक	सुमेर कुमारी व.अ. माशि	चूरु	चूरु
21	कैलाश शर्मा 29-7-1986	पुत्र	25-8-2022 कनिष्ठ सहायक	कमलेश कुमार शर्मा चश्रेक, माशि	झुंझुनू	झुंझुनू
22	त्रिवेणी सबलानिया 17-08-1991	पत्नी	05-02-2022 कनिष्ठ सहायक	कैलाश चन्द्र डीगवाल, व.अ., माशि	झुंझुनू	सीकर
23	अरशान खान 12-01-2004	पुत्र	19-01-2022 कनिष्ठ सहायक	इमरान खान शा.शि. माशि	झालावाड़	झालावाड़
24	दलपत सिंह चौहान 07-4-2001	पुत्र	08-12-2020 कनिष्ठ सहायक	मकान सिंह चौहान अध्यापक, माशि	उदयपुर	उदयपुर
25	प्रमूलाल निनामा 02-3-1989	पुत्र	24-12-2021 कनिष्ठ सहायक	नानूराम निनामा चश्रेक, माशि	उदयपुर	बांसवाड़ा
26	जगदीश कुमार 30-10-1994	पुत्र	24-05-2021 कनिष्ठ सहायक	जमनालाल लखुम्बरा अ, माशि	उदयपुर	उदयपुर
27	राजेन्द्र कुमार रोट 05-8-1992	पुत्र	22-8-2020 कनिष्ठ सहायक	विमल प्रकाश रोट अध्यापक, माशि	झूंगरपुर	झूंगरपुर
28	सुरभी जैन 11-11-1999	पुत्री	19-8-2020 कनिष्ठ सहायक	पवन कुमार जैन व्याख्याता, माशि	झूंगरपुर	झूंगरपुर
29	आमिल हुसैन मन्सूरी 08-11-1994	पुत्र	04-04-2022 कनिष्ठ सहायक	शाराफत हुसैन मन्सूरी प्रधानाचार्य, माशि	राजसमन्द	राजसमन्द
30	मौहम्मद जावेद 20-8-1991	पुत्र	22-1-2021 कनिष्ठ सहायक	अब्दुल सलीम चश्रेक, माशि	बाडमेर	बाडमेर
31	अरविन्द कुमार माली 04-7-1994	पुत्र	13-6-2022 कनिष्ठ सहायक	जैसाराम माली चश्रेक, माशि	सिरोही	सिरोही
32	शान्ति लाल वैष्णव28-09-1983	पुत्र	24-6-2022 च.श्रे.क.	गोविन्द नारायण स्वामीचश्रेक माशि	जयपुर	जयपुर
33	विष्णुदेवी मीणा 01-1-1973	पत्नी	18-12-2021 च.श्रे.क.	मगवान लाल मीणा चश्रेक, माशि	उदयपुर	उदयपुर
34	दिनेश मेघवाल 08.10.2001	पुत्र	13-5-2020 च.श्रे.क.	अमृतलाल मेघवाल चश्रेक, माशि	उदयपुर	उदयपुर
35	चन्द्रेश सालवी 28-02-1994	पुत्र	07-07-2021 च.श्रे.क.	लक्ष्मीलाल बुनकर अ., माशि	उदयपुर	उदयपुर
36	शाकीर मोहम्मद 04-01-1996	पुत्र	13-08-2016 च.श्रे.क.	सत्तार खां सिन्धि चश्रेक माशि	उदयपुर	उदयपुर
37	सुरेश चन्द्र 21-9-1984	पुत्र	01-4-2022 च.श्रे.क.	नारायण लाल तेली चश्रेक, माशि	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पवनाम स्व. श्री/ श्रीमती	संबंधित जिला	आवेदित जिला
1	2	3	4	5	6	7
38	विकास 04-05-2002	पुत्र	18-1-2022 च.श्रे.क.	मंगाराम मेगवाल अ. माशि	जोधपुर	जोधपुर
39	अभिषेक 27-07-2004	पुत्र	02-07-2021 च.श्रे.क.	सुखाराम व.अ. माशि	जोधपुर	जोधपुर
40	लक्ष्मी 01-1-1987	पत्नी	31-3-2022 च.श्रे.क.	दीपक मिश्रा च.श्रे.क. माशि	नागौर	नागौर
41	रोशन देवी 15-04-1965	पत्नी	24-07-2021 च.श्रे.क.	विद्याधर मीणा च.श्रे.क. माशि	झुंझुनू	झुंझुनू

क्र.सं. 1, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 28 एवं 38 में शासन से शिथिलन प्राप्त है।



( गौरव अग्रवाल )  
I.A.S.

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/अनु.नियु./3901/नियुक्तिमूल/2022/121-125 दिनांक : 29-8-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....को उल्लेखित.....अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- श्री ..... को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय ..... कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
- स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश नेट पर अपलोड करने बाबत।
- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर